



प्रेषक,

आर०के० सुधांशु,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड

देहरादून : दिनांक 18 सितम्बर, 2018

महोदय,

विश्वविद्यालय के पत्र संख्या 1315/SDSUV/Affi-2017-18 दिनांक 26.08.2017 व पत्र संख्या 1434/SDSUV/Affi-2017-18 दिनांक 17.07.2018 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० राज्यपाल/कुलाधिपति महोदय द्वारा श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-6 की धारा-33 (1) के अधीन निम्न महाविद्यालय को स्तम्भ-3 में वर्णित पाठ्यक्रमों में उसके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ-5 में इंगित अवधि के लिए नवीन अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान कर दी गयी है।

क्र०सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4	5
1.	ओंकारानन्द सरस्वती राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयोग (टिहरी गढ़वाल)	1-बी०एस-सी० (भौतिक विज्ञान, रसायन एवं गणित) 2-बी०एस-सी० (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान)	प्रत्येक विषय में 60-60 सीट प्रत्येक विषय में 60-60 सीट	सत्र 2017-18 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता

- विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् द्वारा सम्बन्धित संस्थान/महाविद्यालय में मानकों के अनुरूप आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी एवं कुलपति की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की मानकों को पूर्ण कराते हुये कार्यपरिषद् में लिये गये निर्णय की समयबद्ध/त्रैमासिक रिपोर्ट मा० कुलाधिपति जी को प्रस्तुत करेंगे।
- संस्थान/कॉलेज अपने सभी मानक पूर्ण होने तथा निर्विवाद गतिविधियों की पुष्टि का प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करेगा तथा विश्वविद्यालय इसकी पुष्टि सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान में मानकानुसार पूर्ण फ़ैकल्टी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जायेगी, और यदि इसमें कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होने पर इसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन के साथ-साथ विश्वविद्यालय के सम्बन्धित अधिकारी की होगी।
- पाठ्यक्रम में अग्रेत्तर विस्तारण हेतु सभी मानक पूर्ण किये जाने के प्रमाण पत्र तथा विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण के उपरान्त संस्तुति किये जाने के पश्चात् ही अग्रेत्तर अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की जायेगी।

भवदीय,

(आर०के० सुधांशु)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या 2313 (1)/जी०एस०/ शिक्षा / A11-152/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी, नैनीताल।
- प्राचार्य, ओंकारानन्द सरस्वती राजकीय महाविद्यालय, देवप्रयोग (टिहरी गढ़वाल)।
- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह-सादव)

कुलाधिपति के संयुक्त सचिव।